कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 238/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक-05.07.2025 को **थाना-पवई पुलिस द्वारा 24 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनारण करते हुए 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त आला कत्ल 01 अदद कुल्हाड़ी व मृतका के मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया।**

थाना-पवई

24 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद कुल्हाड़ी व मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया गया।

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक 03.07.2025 को आवेदक **संजय पुत्र सुबई, निवासी दावनपारा, थाना पवई, जनपद आजमगढ, अपने ससुर रामनारायण, सास जगपत्ती, साला संजय** के साथ थाना पवई पर आकर लिखित तहरीर दिये कि अभियुक्तों

1. **विकास पुत्र ओमप्रकाश, निवासी ग्राम दावनपारा, थाना पवई, जनपद आजमगढ।**
2. **बब्लू पुत्र जोगिन्दर, निवासी ग्राम दावनपारा, थाना पवई, जनपद आजमगढ।**
3. **मीरा पत्नी रामअवध, निवासी ग्राम दावनपारा, थाना पवई, जनपद आजमगढ।**
4. **सन्तोष पुत्र दूधनाथ, निवासी ग्राम दावनपारा, थाना पवई, जनपद आजमगढ।**

द्वारा आवेदक की पत्नी **अमरावती उम्र करीब 30 वर्ष** की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 191/25 धारा 103(1) बीएनएस** अभियुक्त उपरोक्त आदि **04 नफर** के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

दिनांक 04.07.25 को **थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा मय हमराह** द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **विकास पुत्र ओमप्रकाश, निवासी ग्राम दावनपारा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष** को **पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे सर्विस लेन हमीरपुर तिराहे के पास** से **समय करीब 18.10 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर **घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद कुल्हाड़ी लोहे की तथा मृतका का मोबाइल OPPO** को **ग्राम खण्डौरा सर्विस लेन के पास स्थित पुलिया के पास झाड़ी के नीचे से** बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अमरावती(मृतका) मेरे घर के पास की ही रहने वाली थी, मैं और अमरावती एक दूसरे से प्यार करते थे, फोन पर बाते करते थे व मिलते-जुलते भी थे। लेकिन कुछ दिनों से मैं अमरावती से बात नहीं कर रहा था। दिनांक 02.07.2025 को मै अपने घर के पीछे खाना बनाने के लिए कुल्हाडी से लकड़ी काट रहा कि तभी अमरावती ने मेरे पास फोन किया कि तुम फोन नही उठाते हो और तुम्हारा फोन बहुत व्यस्त रहता है, फोन पर बात करते हुए अमरावती मेरे पास चली आयी और कही कि तुम्हे समय नही है और वह मुझे खीच कर खुले शौचालय के पास ले आयी और मेरा बाल व कालर पकड़ कर मारने लगी मैने कई बार छोड़ने व न मारने के लिए कहा किन्तु वह मेरी बात नही मानी और मुझे गालपर पीटती ही रही जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैने अपने हाथ में लिये हुए कुल्हाडी से उसके गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसका काफी खून बहने लगा तथा अमरावती तड़पने लगी। मै डर गया और किसी को बिना कोई बात बताये कुल्हाड़ी व अमरावती की मोबाइल को लेकर वहां से बाहर-बाहर खेतों की तरफ होते हुए सर्विस लेन की तरफ चला आया अमरावती की मोबाइल की सिम को मैने रास्ते में तोड़ कर गिरा दिया और कुल्हाड़ी तथा उसके

मोबाइल को सर्विस लेन के पास खण्डौरा गाँव के झाड़ी में छिपा दिया था। अमरावती को जब मैने मारा था तो वहाँ मेरे अलावा और कोई नही था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. विकास पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम दावनपारा थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

01. घटना में प्रयुक्त 01 अदद आला कत्ल कुल्हाडी
02. मृतका का मोबाइल OPPO कम्पनी का

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 191/25 धारा 103(1) BNS थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-

01. थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा थाना पवई आजमगढ़
02. व0उ0नि0 शिवसागर यादव, थाना पवई आजमगढ़
03. उ0नि0 श्रीकेश यादव थाना पवई आजमगढ़
04. हे0का0 सुरेन्द्र यादव, थाना पवई आजमगढ़
05. का0 बसन्त कुमार थाना पवई आजमगढ़
06. का0 पुष्पेन्द्र सरोज थाना पवई आजमगढ़
07. का0 राकेश कुमार गोड़, थाना पवई आजमगढ़
08. म0का0 पूजा पाण्डेय थाना पवई आजमगढ़